न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 401 सन 2018
अनवान :–

1. जसवीर पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र गणपत जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. शर्मिला पुत्री कृष्ण पत्नी दलीप जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल झाबर तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. सुमन पुत्री कृष्ण पत्नी विनादे जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर हाल झाबर तहसील व जिला हनुमानगढ
4. राजदेवी पुत्री कृष्ण पत्नी राजेश जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर हाल असरजना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री विजय सिह कडवासरा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 28/01/2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 31/71 के खसरा न0 246 की 8.8600हैक खसरा न0 258 की 4.0470हैक खसरा न0 265/1 की 0.5440हैक कुल तादादी 13.4560हैक भूमि में से 3.3640हैक भूमि तथा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 22/7 के प0न0 238/390(25) के किला न0 11/0.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 ,प0न0 237/390(26) किला न0 6/0.2270 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.228हैक प0न0 239/390(26) के किला न0 0 की 0.510हैक कुल तादादी 2.7830हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है।उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गणपत के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का

हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 31/71 के खसरा न0 246 की 8.8600हैक खसरा न0 258 की 4.0470हैक खसरा न0 265/1 की 0.5440हैक कुल तादादी 13.4560हैक भूमि में से 3.3640हैक भूमि तथा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 22/7 के प0न0 238/390(25) के किला न0 11/0.2530 ,20/0.2530 ,21/0.2530 ,प0न0 237/390(26) किला न0 6/0.2270 ,7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.228हैक प0न0 239/390(26) के किला न0 0 की 0.510हैक कुल तादादी 2.7830हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/1/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

Sazidi

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official